चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अमर उजाला	18.3.26	5	1-5

नवाचारों की सुरक्षा व व्यवसायीकरण की राह दिखाता आईपीआर प्रशिक्षण

एचएयू में शोधार्थियों के लिए पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

माई सिटी रिपोर्टर

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएस एचएयू) में शोधार्थियों के लिए आयोजित पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। कार्यक्रम में तकनीकी हस्तांतरण और नवाचारों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और भौगोलिक संकेतक से संबंधित जानकारी दी गई।

मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य शोधार्थियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रियाओं से अवगत कराना है ताकि वे अपने अनुसंधान कार्य को सुरक्षित रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकें। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान और मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय के तहत स्थापित आईपीआर सेल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

एचएयू के वैज्ञानिकों के साथ प्रतिभागी। स्रोत : संस्थान

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 24 पेटेंट, 17 कॉपीराइट और 18 पेटेंट-डिजाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं जबकि 62 पेटेंट आवेदन प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2025 के दौरान विश्वविद्यालय को 13 पेटेंट, चार डिजाइन और दो कॉपीराइट प्राप्त हुए जबकि वर्ष 2026 के शुरुआती दो महीनों में 12 नए आवेदन भेजे जा चुके हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सतीश कुमार मेहता और डॉ. जितेंद्र कुमार भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य शोधार्थियों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व, नवाचारों के संरक्षण और अनुसंधान परिणामों को पेटेंट सहित अन्य माध्यमों से सुरक्षित करने के प्रति जागरूक करना था।

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, तकनीकी हस्तांतरण और नवाचारों के व्यवसायीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। उपपुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. सीमा परमार ने कॉपीराइट, साहित्यिक चोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार उपयोग पर प्रकाश डाला।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय हरियाणा की आईपीआर शाखा के विशेषज्ञ डॉ. राहुल तनेजा ने पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, पूर्व कला खोज, बौद्धिक संपदा प्रबंधन तथा अनुसंधान से जुड़े कानूनी व नैतिक पहलुओं की जानकारी दी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के विधि विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमोद मलिक ने विश्व व्यापार संधि और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर व्याख्यान दिया।

संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डीके शर्मा ने डिजाइन अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि डिजाइन का अधिकार किसी उत्पाद के बाहरी स्वरूप की सुरक्षा करता है। इसकी वैधता 10 वर्ष तक होती है, जिसे आगे पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बीज विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अक्षय भुक्कर ने प्रतिभागियों को पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया, जबकि डॉ. योगेश जिंदल ने शोधार्थियों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक भास्कर	18.2.26	3	3-4

एचएयू में दी कॉपीराइट, पेटेंट व ट्रेडमार्क प्रक्रिया की जानकारी

शोधार्थियों के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार शिविर लगाया

भास्कर न्यूज | हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान तथा मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय के अंतर्गत स्थापित आईपीआर सेल ने संयुक्त रूप से किया।

मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से शोधार्थियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। जिससे वे अपने अनुसंधान कार्य को सुरक्षित रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सतीश कुमार मेहता एवं डॉ. जितेंद्र कुमार भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य शोधार्थियों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व, नवाचारों के संरक्षण तथा अनुसंधान परिणामों को पेटेंट सहित अन्य माध्यमों से सुरक्षित करने के प्रति जागरूक करना था।

विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में 24 पेटेंट, 17 कॉपीराइट तथा 18 पेटेंट-डिजाइन पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र हैं। वर्ष 2025 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा 13 पेटेंट, 4 डिजाइन और 2 कॉपीराइट प्राप्त किए गए जबकि वर्ष 2026 के प्रारंभिक दो महीनों में 12 आवेदन भेजे जा चुके हैं।

डिजाइन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय, हरियाणा सरकार की आईपीआर शाखा के विशेषज्ञ डॉ. राहुल तनेजा ने प्रतिनिधियों को पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, पूर्व कला खोज, बौद्धिक संपदा प्रबंधन तथा अनुसंधान से जुड़े कानूनी और नैतिक पहलुओं की जानकारी दी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद मलिक ने विश्व व्यापार संधि तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डीके शर्मा ने डिजाइन अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया।

एआई के प्रयोग के साथ दी प्लेगरिज्म से बचने की हिदायत

पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक तथा तकनीकी हस्तांतरण एवं नवाचारों के व्यावसायीकरण से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ. सीमा परमार ने शोधार्थियों को कॉपीराइट, साहित्यिक चोरी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के बारे में जानकारी दी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पंजाब केसरी	18.3.26	4	4-5

हकृवि में शोधार्थियों का प्रशिक्षण संपन्न

प्रतिभागी वैज्ञानिकों के साथ।

हिसार, 17 मार्च (ब्यूरो): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शोधार्थियों ने भाग लिया।

विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में 24 पेटेंट, 17 कॉपीराइट तथा 18 पेटेंट-डिजाइन पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र हैं और 62 आवेदन पेटेंट जारी होने की प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2025 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा 13 पेटेंट, 4 डिजाइन और 2 कॉपीराइट प्राप्त किए गए जबकि वर्ष 2026 के प्रारंभिक दो महीनों में 12 आवेदन भेजे जा चुके हैं। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से शोधार्थियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
हरि. भूमि	18.3.26	12	7-8

हकृवि में दिया बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रशिक्षण

हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान तथा मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय के अंतर्गत स्थापित आईपीआर सेल की ओर से संयुक्त रूप से किया गया।

विश्वविद्यालय में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से शोधार्थियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सतीश कुमार मेहता एवं डॉ. जितेंद्र कुमार भाटिया, डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ. सीमा परमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय की आईपीआर शाखा के विशेषज्ञ डॉ राहुल तनेजा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डीके शर्मा, डॉ. अक्षय भुक्कर, डॉ. योगेश जिंदल आदि मौजूद थे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अजीत समाचार	18.3.26	5	6-8

हकृवि में शोधार्थियों के लिए पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

हिसार, 17 मार्च (विरेन्द्र वर्मा): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान तथा मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय के अंतर्गत स्थापित आई.पी.आर. सेल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विश्वविद्यालय में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में 24 पेटेंट, 17 कॉपीराइट तथा 18 पेटेंट-डिजाइन पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र हैं और 62 आवेदन पेटेंट जारी होने की प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2025 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा 13 पेटेंट, 4 डिजाइन और 2 कॉपीराइट प्राप्त किए गए जबकि वर्ष 2026 के प्रारंभिक दो महीनों में 12 आवेदन भेजे जा चुके हैं। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से शोधार्थियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई जिससे वे अपने अनुसंधान कार्य को सुरक्षित रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सतीश कुमार मेहता एवं डॉ. जितेंद्र कुमार भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य शोधार्थियों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व, नवाचारों के संरक्षण तथा अनुसंधान परिणामों को पेटेंट सहित अन्य माध्यमों से सुरक्षित करने के प्रति जागरूक करना था। पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक तथा तकनीकी हस्तांतरण एवं नवाचारों के व्यावसायीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ. सीमा परमार ने शोधार्थियों को कॉपीराइट, साहित्यिक चोरी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के बारे में जानकारी दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय, हरियाणा सरकार की आईपीआर शाखा के विशेषज्ञ डॉ राहुल तनेजा ने प्रतिनिधियों को पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, पूर्व कला खोज, बौधिक संपदा प्रबंधन तथा अनुसंधान से जुड़े कानूनी और नैतिक पहलुओं की जानकारी दी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ प्रमोद मलिक ने विश्व व्यापार संधि तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डीके शर्मा ने डिजाइन अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया की डिजाइन का अधिकार किसी उत्पाद के बाहरी स्वरूप की सुरक्षा करता है और भारत देश में इसकी सुरक्षा 10 वर्ष के लिए मिलती है जिसे आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
सिटी पल्स न्यूज	17.03.2026	--	--

हकृवि में शोधार्थियों के लिए 5 दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

सिटीपल्स न्यूज, हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के लिए पांच दिवसीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान तथा मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय के अंतर्गत स्थापित आई.पी.आर. सेल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

विश्वविद्यालय में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में 24 पेटेंट, 17 कॉपीराइट तथा 18 पेटेंट-डिजाइन पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र हैं और 62 आवेदन पेटेंट जारी होने की प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2025 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा 13 पेटेंट, 4 डिजाइन और 2 कॉपीराइट प्राप्त किए गए जबकि वर्ष 2026 के प्रारंभिक दो महीनों में 12 आवेदन भेजे जा चुके हैं। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से शोधार्थियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई जिससे वे अपने अनुसंधान कार्य को सुरक्षित रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सतीश कुमार मेहता एवं डॉ. जितेंद्र कुमार भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य शोधार्थियों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व, नवाचारों के संरक्षण तथा अनुसंधान परिणामों को पेटेंट सहित अन्य माध्यमों से सुरक्षित करने के प्रति जागरूक करना था। पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक तथा तकनीकी हस्तांतरण एवं नवाचारों के व्यावसायीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ. सीमा परमार ने शोधार्थियों को कॉपीराइट, साहित्यिक चोरी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के बारे में जानकारी दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय, हरियाणा सरकार की आईपीआर शाखा के विशेषज्ञ डॉ राहुल तनेजा ने प्रतिनिधियों को पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, पूर्व कला खोज, बौधिक संपदा प्रबंधन तथा अनुसंधान से जुड़े कानूनी और नैतिक पहलुओं की जानकारी दी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ प्रमोद मलिक ने विश्व व्यापार संधि तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक जागरण (कैथल)	18.03.2026	--	--

हरियाणा कृषि विवि में कृषि मेला 23 व 24 को

जागरण संवाददाता • कैथल : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से 23 व 24 मार्च को दो दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रदेशभर के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों, विभिन्न विभागों और संस्थाओं की भागीदारी रहेगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने बताया कि इस कृषि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की नवीनतम किस्मों, उन्नत कृषि तकनीकों, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा कृषि यंत्रीकरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। मेले के दौरान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक

मेले में हकृवि, विभिन्न विभागों और निजी संस्थाओं की लगेंगी स्टालें, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के किसान लेंगे हिस्सा

कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज।

किसानों को धान, कपास, बाजरा, दलहन एवं तिलहन फसलों की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद एवं प्रदर्शनी मेले के होंगे मुख्य आकर्षण

विस्तार शिक्षा निदेशक डा. रमेश कुमार ने बताया कि किसानों के साथ वैज्ञानिक-किसान संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमे किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे विशेषज्ञों से चर्चा कर सकेंगे। मेले मे लगाई जाने वाली प्रदर्शनिया भी मुख्य आकर्षण होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश के किसानो से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या मे कृषि मेले मे भाग लेकर खरीफ फसलो की नवीनतम तकनीको और जानकारी का लाभ उठाएं ताकि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके।